
मद स. 86/1 प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.08.2010 को सम्पन्न हुई । इस बैठक का कार्यवृत्त (संलग्न) प्राधिकरण के सदस्यगणों को अर्द्धशासकीय पत्र संख्या उ०मु०का०अ०/85वीं बोर्ड बैठक/2010/356 दिनांक 01.09.2010 द्वारा प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त प्राधिकरण बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.08.2010 का कार्यवृत्त

विषय

बो.बै.सं./मद स.	
मद संख्या.-85/1	प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।
निर्णय	कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।
मद संख्या.-85/2	प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।
निर्णय	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी ।
मद संख्या.-85/3	प्राधिकरण के विकास एवं निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रगति आख्या ।
निर्णय	प्रगति आख्या अवलोकित की गयी ।
मद संख्या.-85/4	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल एवं गौतमबुद्ध फौडिथम का सौन्दर्यकरण एवं मूर्तियों की स्थापना का कार्य।
निर्णय	प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
मद संख्या.-85/5	जंगपद गौतमबुद्ध नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
मद संख्या.-85/6	प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में पुलिस धाना, चौकियां एवं अग्निशमन केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में ।
निर्णय	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।
मद संख्या.-85/7	ग्राम बादलपुर में प्रस्तावित उद्यानों में महापुरुषों की मूर्ति स्थापना के सम्बन्ध में।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
मद संख्या.-85/8	परियोजना कार्यों के Field Quality Surveillance का कार्य नै0 राइट्स लि0 से पूर्व दरें 0.65% Work Value पर 01.04.10 से आगामी एक वर्ष तीन माह तक कराए जाने विषयक प्रस्ताव ।
निर्णय	प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।
मद संख्या.-85/9	मान्यवर काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत ग्रेटर नौएडा में प्रथम चरण में निर्मित एवं द्वितीय चरण हेतु प्रस्तावित भवनों के निर्माण पर सम्भावित अतिरिक्त व्यय को विशेष परियोजनाओं के मद से किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
मद संख्या.-85/10	30 मीटर से ऊँचे भवन मानचित्रों को सशर्त स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।
निर्णय	प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा नियमानुसार अग्रिम

मद सख्या.-85/11	कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । मै0 ओमेक्स लि0 के पक्ष में आबंटित बिल्डर्स आवासीय भूखण्ड स्थित ओमेगा-1। क्षेत्रफल 85 एकड़ के अवशेष प्रीमियम के सापेक्ष किश्तों का पुनर्निर्धारण ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
मद सख्या.-85/12	मै0 एल्लिको इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रॉपर्टीज लि0 को आबंटित बिल्डर्स आवासीय/गुप्त हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-03, ओमीक्रॉन-1, ग्रेटर नोएडा का पार्ट समर्पण अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
मद सख्या.-85/13	दिनांक 13.08.2008 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने हुए हिंसक संघर्ष में ग्राम- घोड़ी बछड़ा के मृत कृषकों के आश्रितों को सेवायोजित करने के संबंध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।
मद सख्या.-85/14	महाप्रबन्धक (विधि) के स्वीकृत पद को मुख्य विधि सलाहकार के पद व वेतनमान 16400-450-20000 (छठे वेतन आयोग में पुनर्संशोधित वेतन पैर 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 8900) पर उच्चकृत करने के संबंध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।
मद सख्या.-85/15	आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 भूखण्डों में लीजडीड विलम्बशुल्क के पुनर्निर्धारण के संबंध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

अनुपूरक एजेण्डा मद

अनु. मद सं0-85/1	शासनादेश संख्या 1216/77-3-10-184अर्जन/09 दिनांक 24.04.2010 तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड के 84वी बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार शासन द्वारा गठित कमेटी की संस्तुति तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदन में कार्यांतर स्वीकृति ।
निर्णय	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा बताया गया कि अनुमोदन हेतु प्रेषित प्रस्तावों में एक खाते पर एक परिवार को 3000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आवादी हेतु नहीं दी गयी है । तदनुसार प्रस्ताव पर कार्यांतर स्वीकृति प्रदान करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।
अनु. मद सं0-85/2	मै0 सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट एम्प्लाइज वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन को आबंटित भूखण्ड-07, पी-4 बिल्डर्स एरिया, 153832 वर्गमीटर की लीजडीड माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2010 के अनुपालन में बिना विलम्ब शुल्क कराये जाने विषयक ।
निर्णय	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
अनु. मद सं0-85/3	विश्व आर्थिक मंदी के दृष्टिगत प्राधिकरण के आबंटियों/निवेशकों को

	शासनादेश दिनांक 25.10.2009 द्वारा अनुमन्य छुट/रियायतों के क्रम में औद्योगिक भूखण्डों का अन्तरण ।
निर्णय	प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
अनु.मद सं0-85/4	सैक्टर जीटा-2 के तलपट मानचित्र में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
अनु.मद सं0-85/5	ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के कार्यालय भवन के डिजाइन के सम्बन्ध में ।
निर्णय	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
अनु.मद सं0-85/6	ग्राम बादलपुर में 10 एम.एल.डी. के सीवरेज ड्रीटमेंट प्लान्ट के स्थल चयन एवं 60.00 मीटर रोड के संरेखन के सम्बन्ध में ।
निर्णय	प्रस्ताव कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
अनु.मद सं0-85/7	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना का तैयार करना एवं अन्तिम रूप देना) विनियमावली, 1991 में नौएडा प्राधिकरण द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय	तदनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।
अनु.मद सं0-85/8	नौएडा, ग्रेटर नौएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना एवं सम्पत्ति कार्यों में नियम एवं शर्तों में एफ-स्मल्ट रटने के सम्बन्ध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।
अनु.मद सं0-85/9	लोक निर्माण विभाग ,उ0प्र0 से आये दो खण्डों की प्रतिनियुक्ति अधि बढाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।
अनु.मद सं0-85/10	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम सूरजपुर स्थित गाटा संख्या 381 पर आबादी बनाकर रह रहे व्यक्तियों का अन्यत्र व्यवस्थापन ।
निर्णय	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
अनु.मद सं0-85/11	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के भूमिहीन कृषकों /खेतिहर मजदूर/ग्रामीण कारीगरों हेतु आबादी स्थल आबंटन की व्यवस्था ।
निर्णय	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
अनु.मद सं0-85/12	शासनादेश संख्या 1216/77-3-10-184अर्जन/09 दिनांक 24.04.2010 में की गयी व्यवस्था कि पट्टा प्रलेख द्वारा आबादी हेतु भूमि दिये जाने वाले प्रकरणों में 5/ 6/ 7 प्रतिशत भूमि, आवासीय प्लॉटों के आबंटन में आस्पाज इत्यादि कोई भी लाम अनुमन्य नहीं ।
निर्णय	प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।
अनु.मद सं0-85/13	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु पंजीकृत बयपत्र द्वारा कृषकों से सीधे क्रय किया जाना ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

अनु.मद सं0-85/ 14	ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में ।
निर्णय	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
अनु.मद सं0-85/ 15	प्राधिकरण में 89 दिनों की संविदा पर कार्यरत 27 अधिकारी/कर्मचारी के विनियमितीकरण विषयक ।
निर्णय	प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण कर पुनः बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने निर्देश दिये गये ।
अनु.मद सं0-85/ 16	ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की पुनरीक्षित भवन विनियमावली के सम्बन्ध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ॥
अनु.मद सं0-85/ 17	शासनादेश संख्या 1216/77-3-10-184अर्जन/09 दिनांक 24.04.2010 तथा ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड के 84वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार शासन द्वारा गठित कमेटी की संस्तुति तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदन के क्रम में कार्यान्तर स्वीकृति ।
निर्णय	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा द्वारा बताया गया कि अनुमोदन हेतु प्रेषित प्रस्तावों में एक खाते पर एक परिवार को 3000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आबादी हेतु नहीं दी गयी है । तदनुसार प्रस्ताव पर कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।
अनु.मद सं0-85/ 18	मैसर्स यूनीटेक इन्फ्राकान लि0, भूखण्ड संख्या 04, टैकजोन, ग्रेटर नौएडा, क्षेत्रफल 303525 वर्ग मीटर के सापेक्ष डिफॉल्टिड प्रीमियम/ब्याज का पुनर्निर्धारण ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
अनु.मद सं0-85/ 19	मैसर्स डजल सौल्युशन्स लि0, भूखण्ड संख्या 85,86, इकोटेक-1, एक्सटेंशन-1, ग्रेटर नौएडा क्षेत्रफल 40474.75 वर्ग मीटर के सापेक्ष डिफॉल्टिड प्रीमियम/ब्याज का पुनर्निर्धारण ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
अनु.मद सं0-85/ 20	संस्थागत योजनान्तर्गत आवंटित निम्न भूखण्ड के सापेक्ष डिफॉल्टिड प्रीमियम/ब्याज का पुनर्निर्धारण के संबंध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
अनु.मद सं0-85/ 21	संस्थागत योजनान्तर्गत आवंटित निम्न भूखण्ड के सापेक्ष डिफॉल्टिड प्रीमियम/ब्याज का पुनर्निर्धारण के संबंध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
अनु.मद सं0-85/ 22	संस्थागत योजनान्तर्गत आवंटित निम्न भूखण्ड के सापेक्ष डिफॉल्टिड प्रीमियम/ब्याज का पुनर्निर्धारण के संबंध में ।
निर्णय	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

निर्णय अनु.मद सं0-85/24	संस्थागत भूखण्ड का अंतरण बगैर क्रियाशीलता/कम्पलीशन के वर्तमान आबंटन/आन्क्षण दर का 2 प्रतिशत अंतरण शुल्क लेकर अनुमन्य किये जाने के संबंध में । प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
निर्णय अनु.मद सं0-85/25	संस्थागत योजनान्तर्गत प्राधिकरण की इस नीति के क्रम में निम्नलिखित संस्थागत भूखण्ड का अंतरण बगैर क्रियाशीलता/कम्पलीशन के वर्तमान आबंटन/आन्क्षण दर का 2 प्रतिशत अंतरण शुल्क लेकर अनुमन्य किये जाने के संबंध में । प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
निर्णय अनु.मद सं0-85/26	संस्थागत योजनान्तर्गत प्राधिकरण की इस नीति के क्रम में निम्नलिखित संस्थागत भूखण्ड का अंतरण बगैर क्रियाशीलता/कम्पलीशन के वर्तमान आबंटन/आन्क्षण दर का 2 प्रतिशत अंतरण शुल्क लेकर अनुमन्य किये जाने के संबंध में । प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
निर्णय अनु.मद सं0-85/27	मैसर्स सुपरटेक लि0 के पक्ष में आबंटित बिल्डर्स आवासीय/ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-2, ओमीक्रोन-1, ग्रेटर नौएडा क्षेत्रफल 80936.16 वर्ग मीटर के सापेक्ष शून्य अवधि तथा किश्तों का पुनर्निधारण का लाभ अनुमन्य करने विषयक । प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
निर्णय अनु.मद सं0-85/28	मैसर्स पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्रा0लि0 के पक्ष में आबंटित बिल्डर्स आवासीय/ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-02, जीटा-1 ग्रेटर नौएडा क्षेत्रफल 8.75 एकड़ (वास्तविक क्षेत्रफल 38213.00 वर्ग मी) के सापेक्ष शून्य अवधि का लाभ अनुमन्य करने विषयक । प्रस्ताव को अवलोकित किया गया ।
निर्णय	मैसर्स आईकेयर हेल्थ प्रोजेक्ट्स एण्ड रिसर्च प्रा0लि0 को आबंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या 4, इंस्टीट्यूशनल ग्रीन, ग्रेटर नौएडा क्षेत्रफल 57.30 एकड़ में से 28 एकड़ क्षेत्रफल सोसायटी/ट्रस्ट के पक्ष में अंतरित करने की सैद्धांतिक अनुमति विषयक। प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।